कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 31.05.2018 द्वारा श्रीमती कृष्णा चन्देल, व्याख्याता राजकीय बालिका एस.एम.डी उमरैण जिला अलवर को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर राउमावि–बोगला जिला पाली में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.06.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्रीमती कृष्णा चन्देल द्वारा काउन्सलिंग के समय अपने गृह जिले अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद प्रदर्शित नहीं किये जाने से व्यथित होकर माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2800/2018 श्रीमती कृष्णा चन्देल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई। अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2018 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और अपीलार्थी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में विधि अनुसार एक निश्चित समयावधि में सकारण स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी कृष्णा चन्देल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले अलवर में प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद यथा राउमावि–देसूला, राउमावि–बगड़मेव, राउमावि–श्यामदा अथवा राबाउमावि–बालिका बहादुरपुर जिला अलवर में किये जाने सम्बन्धी परिवेदना की गई।

श्रीमती कृष्णा चन्देल के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा चन्देल, प्रधानाचार्या राउमावि बोगला जिला पाली का पदस्थापन स्थान संशोधित कर राबाउमावि बहादुरपुर जिला अलवर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/नवनीत पाठक/अपील/2348/2018 दिनांक 05/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पाली/अलवर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पाली/अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner